उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा
(विकास शाखा)
आवश्यक सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 4729, दिनांक 4.6.2007 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 5958, दिनांक 17.08.2009 के आलोक में सूचित किया जाता है कि लोहरदगा जिला अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों की नियुक्ति की जानी है। इस पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी।

उपर्युक्त पद पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने हेतु केवल लोहरदगा जिला के योग्य स्थानीय निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 14/स्थानीयता नीति -14-01/2015/5938 दिनांक 14.07.2016 के आलोक में जिला स्तर पर वर्ग 3 एवं 4 के पदो पर नियुक्ति हेतु केवल लोहरदगा जिला के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे।

आवेदन पत्र "उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, लोहरदगा" के पदनाम से देय होगा।

2) रिक्त पदों की संख्या - 03 (अनारक्षित 2, अ0ज0जा 1) (रिक्तियों की सं0 में परिवर्तन हो सकता है)

3) परिलब्धि - 6,200/- (छः हजार दो सौ) रू0 प्रतिमाह (इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा)

4) शैक्षणिक योग्यता -

1) न्यूनतम - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंटरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई0टी0आई0, मैट्रिक के पश्चात् आई0टी0आई0 की स्थिति में आई0टी0आई0 के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

2) अतिरिक्त - क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी विषय / संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा / सामान्य स्नातक / बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर

ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.ए. / पी.जी.डी.बी.ए. / पी.जी.डी.आर.डी. को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

3) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

5) आयु सीमा -

क) अनारक्षित - 35 वर्ष

ख) महिला (अनारक्षित) - 38 वर्ष

6) आरक्षण - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर लोहरदगा जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

7) चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन लोहरदगा जिला के किसी प्रखण्ड एवं किसी ग्राम पंचायत में उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।

8) यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।

9) कोई कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

10) कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय पर समाप्त कर दी जायेगी।

11) प्रारम्भिक चरण में संविदा पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त कर्मी के कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवा की आवश्यकता संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय के आलोक में अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

12) नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के समीक्षा कर मेधा सूची तैयार किया जायेगा। तैयार मेधा सूची के वार्षिक समीक्षा के उपरांत अद्यतन विभागीय निदेशानुसार नवीकृत एवं पुननिर्मित किया जायेगा।

13) अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

14) प्रशिक्षण - प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों / अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

16) आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लोहरदगा को निबंधित डाक / स्पीड - पोस्ट से दिनांक 05.12.2016 को अपराह्न 4.00 बजे तक भेजा जा सकता है, विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

हाल का पासपोर्ट
साईज फोटो

1 अभ्यर्थी का नाम :-

2 पिता / पति का नाम :-

3 स्थायी पता :-

4 वर्त्तमान पता :-

5 जन्म तिथि :-

6 लिंग (पुरूष / महिला) :-

7 कोटि (अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ी जाति/सामान्य - जो लागू नहीं काट दें) :-

8 मोबाईल नं0 :-

9 आधार नं0 :-

10 शैक्षणिक योग्यता :-

क्र0	परीक्षा का नाम	कुल प्राप्तांक	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत

9 अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र :-

आवेदक का हस्ताक्षर

24/11/16

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
नरेगा, लोहरदगा ।